न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमति कंकु उर्फ लादी बैरवा **बनाम** श्री पोखर वगैराह

धारा 111—128 एल0आर0एक्ट

मुकदमा 208 / 2022

06.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–208/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

2. श्रीमति कंकू उर्फ लादी देवी पत्नी रतन बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री भैरू पुत्र सोला बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री मोहन पुत्र नानू बैरवा निवारसी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थीगण

बनाम

11. श्री पोखर पुत्र नानू बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
12. श्री शंकर पुत्र रूपलाल बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
13. श्री रतन पुत्र कालू बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
14. श्री नन्दलाल पुत्र देबीलाल बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
15. श्री नन्दकिशोर पुत्र गोपीलाल बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
16. श्री देबीलाल पुत्र एकलिंग बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
17. श्री बंशीलाल पुत्र लच्छु बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
18. श्री हरलाल पुत्र जयराम बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
19. श्री प्यारा पुत्र बालू बेरवा निवासी गांधीनगर शनि महाराज के मन्दिर के पास भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 6.05.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर प्रथम प0ह0 पुर प्रथम भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित खाता संख्या 2115 में आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खाता संख्या 1731 में आ0नं0 4793 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खाता संख्या 2117 में आ0नं0 4733 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आ0नं0 4736 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आ0नं0 5013 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम पुर प्रथम प0ह0 पुर प्रथम भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित खाता संख्या 2115 में आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खाता संख्या 1731 में आ0नं0 4793 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खाता संख्या 2117 में आ0नं0 4733 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आ0नं0 4736 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आ0नं0 5013 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर प्रथम प0ह0 पुर प्रथम भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित खाता संख्या 2115 में आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खाता संख्या 1731 में आ0नं0 4793 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खाता संख्या 2117 में आ0नं0 4733 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आ0नं0 4736 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आ0नं0 5013 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 150/–रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाॅ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक पुर 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा